कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 20.07.2026

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म एवं अश्लील डिजिटल सामग्री प्रसारित करने के मामले में वांछित अभियुक्त को मात्र 24 घण्टे के भीतर पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल कर किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20.07.2026 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीरी सूचना दी गई कि अभियुक्त ओवैश रजा पुत्र अनीस अहमद घर की छत पर पहुंचा और उसकी पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर अभियुक्त ने पीड़िता के साथ मारपीट की, उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया तथा घटना की जानकारी किसी को देने पर उसे एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त द्वारा घटना का अश्लील वीडियो बनाया तथा विवाह न करने की स्थिति में उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने एवं वादिनी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 333/2026, धारा 64/109(1)/115(2)/352/351(3) बी.एन.एस. एवं 67A आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 20.07.2026 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 333/2026 धारा 64/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 67A आईटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त मो0 ओवैश पुत्र मो0 अनीस निवासी अन्दौली, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मदारीपुर कला की ओर जाने वाली लिंक रोड से कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त द्वारा गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया।। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के बांए पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे तत्काल पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 334/2026 धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. ओवैश रजा पुत्र अनीस निवासी अन्दौली थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त ओवैश रजा का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 333/2026 धारा 64/109(1)/115(2)/352/351(3) BNS व 67A IT ACT थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

2. मु0अ0सं0 334/2026 धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हेमन्त कुमार मिश्र थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 सत्यप्रकाश पाठक
3. उ0नि0 पंकज सिंह
4. उ0नि0 राज कमल यादव
5. हे0कां0 पकंज कुमार मिश्र
6. का0 अनीश दीक्षित
7. रि0का0 रविशंकर